दिनांक	आज्ञा-पत्र
31/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उपस्थित। तहसीलदार दातारामगढ़ के अपने पत्र क्रमांक 320/19/2240 दिनांक 25/7/19 के द्वारा प्रकरण में किशोर प्रताप निवासी ग्राम शादिलपुरावली जिला सीकर / तहसीलदार दातारामगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 25/7/19 के साथ पेश किशोर प्रताप को कार्यवाही दिनांक 17/7/19 के अवलोकन से पाया है कि मौके पर उपस्थित वादी प्रत्यावेदक के कब्जा की हक कोई बेदखल नहीं करवाना चाहते हैं। बेदखल करने हेतु कोई निर्माण नहीं है। बहाव में सम्पूर्ण रास्ते पर कब्जा वादी का ही है। प्रकरण में वकील वादी एवं वादी स्वयं को बार-बार आवाज दिलवाई गई लेकिन न तो वादी उपस्थित नहीं आये। अतः वाद अनुपस्थिति खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर वाद कार्यवाही अमिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर निर्णय आज दिनांक 31/7/19 को सरेइजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर